

7-12-15 पत्रावली पेश उमयस
अस्थित/पार्याप्त अधिकार की
अन्य कार्य में दिनांक 18-1-16 को
पेश हो।
आदेश से चिह्न

18-1-16 पत्रावली पेश उमयस
अस्थित/पार्याप्त अधिकार की
अन्य कार्य में दिनांक 4-4-16
को पेश हो।
आदेश से चिह्न

4/4/16 पत्रावली पेश उमयस उम-
अस्थित/पार्याप्त अधिकार की
अन्य कार्य में दिनांक 22-8-16
को पेश हो।
आदेश से चिह्न

20-6-16 पत्रावली पेश उमयस लोक न्यायालय/केस
कोर्ट..... दिनांक 20-6-16 को पेश हो।
अन्य कार्य में दिनांक 20-6-16 को पेश हो।
अन्य कार्य में दिनांक 20-6-16 को पेश हो।
अन्य कार्य में दिनांक 20-6-16 को पेश हो।

20-8-16 पत्रावली पेश। न्यायालय वादी/उपाय
प्राप्त/पार्याप्त अधिकार की दिनांक 20-8-16
को पेश हो।

28-11-16 पत्रावली पेश उमयस
अस्थित/पार्याप्त अधिकार की
दिनांक 28-11-16 को पेश हो।
आदेश से चिह्न

13-2-17 पत्रावली पेश उमयस
अस्थित/पार्याप्त अधिकार की
दिनांक 13-2-17 को पेश हो।
आदेश से चिह्न

28-6-17 पत्रावली पेश उमयस
अस्थित/पार्याप्त अधिकार की
दिनांक 28-6-17 को पेश हो।
आदेश से चिह्न

पत्रावली पेश उमयस

नि. जिन
दिनांक



गौडासांस पलवार इल्लक, गौड्डा में
 रेम्पाडु नं० सिल्पलारापण व उसकी
 माता गौजा के नाम पर आराजा
 नम्बर ५५१ रक्का व बीधा १३ विरवा
 आराजा नम्बर ५५२ रक्का ०५२२ रक्का
 ०१ बीधा ०२ विरवा आ. नं ५५० रक्का
 ०४ बीधा ०३ विरवा कुल वित्त ३
 कुल रक्का ०४ बीधा ०४ विरवा
 अन्य आराजा के साथ ^(सात) थी। जिस
 रेम्पाडु नं० व उसकी माता गौजा
 ने दिनांक २०/१०/२००९ को विष्णु पंजर
 अर्पण श्राद्ध का वाक्य सौंप दिया। उस
 वाद गौजा को शकवार हो गए।
 उस के ~~वाक्य~~ वाद विरासत का जो माह
 विपरीत के नाम पर शकाल दिया
 गया। जब की विष्णु शुद्ध आराजा
 को कम दिया जा कर नामान्तकरण
 शकाला जाता चाहिये। जब की सम्पूर्ण
 आराजा को नामान्तकरण शकाला दिया
 जा विधि सामत हो कर अर्पण श्राद्ध
 के दिनांक के विपरीत ही जब श्राद्ध विष्णु
 पंजर की गई तो विरासत में विष्णु शुद्ध
 को कम करत हुए विरासत का नामान्तकरण
 शकाला चाहिये।

अतः श्राद्ध का नाम गौडासांस श्राद्ध पंचापर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शेवेलीडिया द्वारा नामान्तकार संख्या 1387
के तहत करते हुए अफीला पाँचा के
विद्युप आर्म के अपन नाम वसि व
अफीला पाँचा के जहाप गोल सवे।

अफीला पाँचा के अफीला शेवेलीदार
करते हुए ग्राम शेवेलीया पंचतपत का
नामान्तकार 1387 का अपरत विषय
जुन कर प्रकार तहसीलदार मीलवा
के रिमाण्ड विषय जाता है। तहसीलद
अभी प्रसवारी के सुनवार निर्णय
पारित करे।

निर्णय के प्रति तहसीलदार
के पालना हेतु भिजावे।

निर्णय आज दिनांक 28.6.201
के अर आम सुनाया गया
पचावली के शालु शम्भर
लेकर नम्बर से काम है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, मीलवाड़ा